

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड सी-3,

निविदा दस्तावेज

कार्य षा -ाग

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के कार्यक्षेत्र में भ्रमण हेतु इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर या अन्य समकक्ष/टैक्सी/इनोवा या अन्य समकक्ष वाहन किराए पर लेना।

सी 3, शास्त्री -नगर, जोधपुर [राजस्थान]-342 003

फोन नम्बर- 2433967, 2616328

फैक्स न. 0291-2439017

ई-मेल- woolindiajodhpur@dataone.in

वेब-woolboard.nic.in

पत्र क्रमांक/केऊविबो/स्थापना/नगर-टैक्सी/2015-16/

दिनांक

निविदा सूचना

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा कार्यालय हेतु आवश्यकतानुसार जोधपुर (स्थानीय यात्रा) व जोधपुर से बाहर की यात्रा हेतु वाहन किराया पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यह निविदा एक वर्ष के लिए होगी व निविदादाता की सेवा प्रदर्शन को देखकर अवधि को बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

1. इंडिगो व समकक्ष - (मॉडल- 2014 के बाद के)
2. इनोवा व समकक्ष - (मॉडल-2014 के बाद के)
3. निविदा दस्तावेज का शुल्क - राशि 200/- रूपये
4. धरोहर राशि -10,000/- रूपये

निविदा जमा कराने की तिथि -12.8.2016 15.00 बजे

निविदा खोले जाने की तिथि -12.8.2016 15.00 बजे

निविदा फार्म बोर्ड की वेबसाइट www.woolboard.nic.in से दिनांक- 21.7.2016 से डाऊनलोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, सी-3 शास्त्री सड़क के पास, शास्त्री -नगर, जोधपुर - 342003 (राज.) कार्यालय में दिनांक -12.8.2016 को 15.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं।

कार्यकारी निदेशक

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड सी-3,

निविदा दस्तावेज

कार्यका नाम

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के कार्यक्षेत्र में भ्रमण हेतु इंडिगो/स्विफ्ट डिजायर या अन्य समकक्ष/टैक्सी/इनोवा या अन्य समकक्ष वाहन किराए पर लेना।

निविदा फार्म

1. संस्थाका नाम
2. पूर्ण पता
3. संस्था का पंजीकरण संख्या
4. पैन कार्ड संख्या
5. सेवाकर/प्रमाण पत्र आदि
6. बैंक के खाता संख्या का ब्यौरा (RTGS ब्यौरा सहित)
7. मांका पत्र संख्या/दिनांक/EMD
8. अनुभव, यदि कोई (समान कार्य के लिए सरकारी संस्था द्वारा दिया गया)
9. अन्य सूचना यदि कोई हो

निविदादाता के हस्ताक्षर

1. निविदा दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट-www.wool board.nic.in पर भी उपलब्ध है यह सुविधा उपर्युक्त तिथि तक उपलब्ध रहेगी तथा फार्म डाउनलोड किया जा सकेगा व अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यह सुविधा निःशुल्क है तथापि निविदा जमा करते समय कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के पक्ष में एक डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा। वांछित डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा लौटा दी जाएगी।
2. धरोहर राशि के बिना प्राप्त की गई निविदाएँ लौटा दी जाएँगी।
3. सभी तरह से पूर्ण तथा उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों सहित निविदा को कार्यालय पते-केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, सी-3, शास्त्री सर्कल के पास, शास्त्री नगर, जोधपुर में निविदा पेटी में जमा करें।
4. निविदाएँ ऊपर दर्शाई गई तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन 3.30 बजे प्राधिकृत निविदादाताओं के समक्ष, जो उपस्थित रहना चाहें, पेश की जाएगी। उपर्युक्तानुसार सीलबंद निविदाएँ उक्त दिनांक को 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजी जा सकेंगी।
5. यदि किसी कारणवश उपर्युक्त वर्णित तिथि को अवकाश या बंद घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक अगले कार्य दिवस में परिवर्तित हो जाएगी।
6. यदि निविदादाता जानबूझकर दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलत सूचना देता है जिससे उनकी निविदा स्वीकृत करने की संभावना बनती हो तो केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के पास निविदा रद्द करने का अधिकार है। साथ ही एक वर्ष तक व्यापार के लिए निलंबित किया जा सकता है।
7. इस निविदा में संयुक्त भागीदारी संस्थाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अगले पेज पर नियम एवं शर्तें:-

1. दरों में ड्राइवर का वेतन तथा अन्य लाभ ईंधन, ल्यूब्रिकेन्ट, तथा अन्य pol शामिल हैं।
2. केन्द्र/राज्य/स्थानीय प्रशासन द्वारा वाहन के चालन पर लगाए गए सभी करों, शुल्कों, आकस्मिक दरों, दण्ड आयकर पर सांविधिक वसूली, तथा अन्य लगाए जाने वाले कर का भुगतान चालू लेखा बिल द्वारा किया जाएगा। केवल सेवा कर का भुगतान केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अतिरिक्त रूप से किया जाएगा।
3. यदि कार्य आदेश के दो घण्टे के भीतर केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया तो 100 रुपये प्रति घण्टे की दर से दण्ड लगाया जाएगा।
4. अनुबंधकर्ता इस बात के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा कि वाहन सुरक्षित चले। वाहन को हुए कोई नुकसान, क्षति, मरम्मत, रखरखाव या दुर्घटना के लिए केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जिम्मेवार नहीं होगा।
5. वाहन चालक को हस्ताक्षर किया हुआ कार्य पत्र दिया जाएगा जिसकी प्रति बिल के साथ लगाई जाएगी।
6. पूर्णतः हस्ताक्षर किए हुए बिल प्रस्तुत करने पर जिसमें कार्य पत्र, RC की प्रति तथा अन्य संबंधित बिल लगे हों (टोल टैक्स/पार्किंग आदि) वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। (नियमानुसार कर आदि की कटौति पश्चात)
7. टैक्सी के पास पूरे भारत का परमिट होना चाहिए। केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के द्वारा कोई परमिट चार्ज वहन नहीं किया जाएगा।

8. वाहन चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नियमानुसार वाहन का दुर्घटना बीमा होना चाहिए।
9. वाहन का मॉडल 2014 के बाद का होना चाहिए।
10. वाहन सदैव अच्छी स्थिति में होना चाहिए
11. वाहन का अनुबंध कार्यालय आदेश से एक वर्ष के लिए होगा तथा संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।
12. वाहन की सीट पर अच्छे तथा साफ, कपड़े के कवर होने चाहिए।
13. वाहन चालक को सफेद यूनीफॉर्म पहननी चाहिए।
14. वाहन को सदैव नियंत्रणकर्ता अधिकारी अथवा केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के अन्य अधिकारी के निर्देश पर कार्य करना चाहिए।
15. यदि बाजार में ईंधन की दरों में वृद्धि/कमी हो तो कोटेशन में प्रस्तावित मानदण्डों के अनुसार प्रति किलोमीटर दरों में वृद्धि व्युत्क्रमानुपाती रूप से की जाएगी।
16. िराया दर में सांविधिक आवश्यकतानुसार रोड़ टैक्स,सरकारी शुल्क तथा अन्य दरें, निरीक्षण प्रमाण पत्र शुल्क आदि शामिल होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर